न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः– 161/2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. प्रेमचंद पुत्र मोतीराम जाति जाट निवासी मुरलीधर जी का चौक, चण्डावल नगर तह0 सोजत जिला पाली राज0		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1. श्री कैलाश दवे अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक – 06/11/2025

अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी के पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा चण्डावल, प0ह0 चण्डावल, भू–अ0नि0 क्षेत्र चण्डावल तह0 सोजत में प्रार्थी व अन्य सहखातेदार की खातेदारी कृषि भूमि निम्नानुसार आयी हुई स्थित हैं। सम्पति ''ए'' खसरा नंबर 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539 कुल खसरा 11 कुल रकबा 14.8400 है0 में प्रार्थी का 1/3 हक हिस्सा खातेदारी, कब्जा काश्त निहित है, शेष हक हिस्सा अन्य सह खातेदारान का नाम हैं। उक्त भूमि में प्रार्थी का त्रुटिवश पेमा पुत्र मोती दर्ज हैं। सम्पति ''बी'' खाता सं0 538 पुराना खाता सं0 497 खसरा नंबर 217, 218 कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.7000 है0 में प्रार्थी का माफिक राजस्व रेकर्ड अनुसार 2/3 हक हिस्सा निहित हैं। शेष हक हिस्सा अन्य सह खातेदारान का हैं। उक्त भूमि में प्रार्थी का नाम पेमाराम पुत्र मोतीराम दर्ज हैं। सम्पति ''सी'' सरहद मौजा गुड़ा बच्छराज प0ह0 मुरडावा, भू0अ0नि0 क्षेत्र चण्डावल के खाता सं0 250 पुराना खाता सं0 243 खसरा नंबर 167 रकबा 1.9000 है0 में प्रार्थी का माफिक राजस्व रेकर्ड अनुसार 1/3 हक हिस्सा निहित हैं। शेष हक हिस्सा अन्य सह खातेदारान का हैं। उक्त भूमि में प्रार्थी का नाम त्रुटिवश पेमाराम पुत्र मोतीलाल दर्ज हैं। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि ए, बी एवं सी में प्रार्थी बतौर खातेदार काश्तकार है तथा उक्त आराजीयात की कृषि भूमि में प्रार्थी की विरासत में प्राप्त भूमि है, जिस भूमि पर प्रार्थी का राजस्व रेकर्ड में दर्ज हक हिस्सा पर उपयोग उपभोग लगातार बिना किसी बाधा अड़चन के चला आ रहा है तथा आज भी मौके पर काबिज काश्त है। उक्त आराजीयात की कृषि भूमि में प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास होने के पश्चात प्रार्थी का नाम राजस्व कर्मचारीयों द्वारा बिना प्रार्थी के सही एवं वास्तविक नाम के दस्तावेज का अवलोकन किये व सद्भाविक भूलवश प्रार्थी के दस्तावेजी व सही वास्तविक नाम दर्ज नहीं कर घर में लाड

उपखण्ड अधिकारी

प्यार से पुकारा जाने वाला नाम पेमाराम एवं पेमा पुत्र मोतीराम एवं मोतीलाल दर्ज कर दिया गया तथा जबकि प्रार्थी का वास्तविक दस्तावेजी नाम प्रेमचंद पुत्र मोतीराम है प्रार्थी को घर परिवार समाज में बचपन में पेमा के नाम से ही पुकारते थे। इसलिये राजस्व कर्मचारीयों के द्वारा राजस्व रेकर्ड में वक्त इन्द्राज पेमा एवं पेमाराम दर्ज करने में भूल की है। बल्कि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक दस्तावेजी नाम प्रेमचंद पुत्र मोतीराम ही है तथा प्रार्थी को गांव, परिवार, समाज में प्रेमचंद पुत्र मोतीराम के नाम से भी जाना व पहिचाना जाता है। बल्कि प्रार्थी के स्वयं मतदाता पहिचान पत्र, आधार कार्ड, पी.पी.ओ, पेन कार्ड एवं शैक्षणिक दस्तावेज में भी प्रार्थी का नाम प्रेमचंद पुत्र मोतीराम ही दर्ज है जिससे यह स्पष्ट हैं कि प्रार्थी का वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम प्रेमचंद ही है अर्थात् वादस्थ कृषि भूमि में पेमा पुत्र मोती, पेमाराम पुत्र मोतीराम, पेमाराम पुत्र मोतीलाल एवं प्रेमचंद पुत्र मोतीराम प्रार्थी ही है बल्कि प्रार्थी के पिता मोतीराम जी के प्रार्थी के अलावा अन्य कोई इसी नाम का अन्य कोई पुत्र या वारिस नही हैं। पेमा पुत्र मोती, पेमाराम पुत्र मोतीराम, पेमाराम पुत्र मोतीलाल एवं प्रेमचंद पुत्र मोतीराम का एकमात्र व्यक्ति प्रार्थी ही है इसके अलावा अन्य कोई परिवार में व्यक्ति नहीं हैं। वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में सम्बन्धित कर्मचारी के द्वारा प्रार्थी का वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम प्रेमचंद पुत्र मोतीराम दर्ज न कर पेमा, पैमाराम पुत्र मोतीलाल पैन ऑफ मिसटेक, सद्भाविक त्रुटि से दर्ज कर दिया गया, जो गलत है। जिसे प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये दुरस्त करवाने का अधिकारी है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी पेमा, पेमाराम पुत्र मोतीलाल के स्थान पर प्रेमचंद पुत्र मोतीराम नाम दुरस्त किये जाने से राजस्व रेकर्ड के किसी अन्य सह खातेदारान पर किसी प्रकार का कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ेगा और न ही किसी के खातेदारी अधिकार पर प्रभाव पड़ेगा तथा सह खातेदारान के उक्त संशोधन बाबत बतौर सहमति शपथ पत्र संलग्न प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त वर्णित सम्पति ए, बी, सी के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम पेमा पुत्र मोती, पेमाराम पुत्र मोतीराम, पेमाराम पुत्र मोतीलाल के स्थान पर प्रेमचंद पुत्र मोतीराम के नाम से शुद्धि किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्ती किया जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस तलब किया गया। पर्याप्त अवसर के बावजूद जवाब प्रा0पत्र पेश नहीं करने से अवसर समाप्त कर जवाब प्रा0पत्र बंद किया जाता हैं।

वादग्रस्त कृषि भूमि के मौके व रेकर्ड की वस्तुस्थिति हेतु तहसीलदार सोजत को लिखा जाने पर तहसीलदार सोजत द्वारा अपने पत्रांक/रीडर/2025/1489 दिनांक 15.10.2025 के जरिये प्रस्तुत कर पटवारी हल्कानुसार राजस्व रेकर्ड अनुसार खाता सं0 608, 538 ग्राम चण्डावल व खाता सं0 250 ग्राम गुड़ा बच्छराज में प्रार्थी का नाम पेमा पुत्र मोती, पेमाराम पुत्र मोतीराम, पेमाराम पुत्र मोतीलाल वक्त भू–प्रबंध से ही दर्ज है। अन्य सभी सरकारी दस्तावेज यथा बोर्ड सर्टिफिकेट, पेन कार्ड, आधार कार्ड,

वोटर कार्ड में नाम प्रेमचंद पुत्र मोतीराम दर्ज हैं। मौतबिरान से पुछताछ अनुसार प्रेमचंद व पेमाराम एक ही व्यक्ति हैं। पूर्व में बोलचाल की भाषा में पेमाराम होने से त्रुटिवश प्रेमचंद की बजाय पेमा दर्ज हो गया। मोतीराम (फौत) की वंशावली इस प्रकार हैं। सरूप बाई (पत्नी, फौत), लाबूराम (पुत्र, फौत), रूघाराम (पुत्र, फौत), प्रेमचन्द (पुत्र), पानी (पुत्री, फौत) हैं। अतः सर्जरा आम में की गई पुछताछ व सलंग्न दस्तावेजों के अनुसार संलग्न जमाबंदी खाता सं0 608, 538 ग्राम चण्डावल खाता सं0 250 ग्राम गुड़ा बच्छराज में पेमा पुत्र मोती, (क्र0सं0 2 खाता सं0 608) पेमाराम पुत्र मोतीराम (क्र0सं0 1 खाता सं0 538), पेमाराम पुत्र मोतीलाल (क्र0सं0 1 खाता सं0 250) के स्थान पर प्रेमचन्द पुत्र मोतीराम कौम जाट सा0 चण्डावल दर्ज किये जाने का निवेदन किया जाता हैं। उपस्थित मौतबिरानों के हस्ताक्षर कर रिपोर्ट पेश की, जो सा0मि0 हैं।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में राजस्व कर्मचारीयों के द्वारा राजस्व रेकर्ड में वक्त इन्द्राज पेमा एवं पेमाराम दर्ज करने में भूल की है। बल्कि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक दस्तावेजी नाम प्रेमचंद पुत्र मोतीराम ही है तथा प्रार्थी को गांव, परिवार, समाज में प्रेमचंद पुत्र मोतीराम के नाम से भी जाना व पहिचाना जाता है। अतः उक्त वर्णित सम्पति ए, बी, सी के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम पेमा पुत्र मोती, पेमाराम पुत्र मोतीराम, पेमाराम पुत्र मोतीलाल के स्थान पर प्रेमचंद पुत्र मोतीराम के नाम से शुद्धि किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्ती किया जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र फहरिस्त मय दस्तावेजात का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः तहसीलदार सोजत मय हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर प्रेमचंद व पेमाराम दोनों एक ही व्यक्ति होना तथा प्रार्थी का नाम पेमा पुत्र मोती, पेमाराम पुत्र मोतीराम, पेमाराम पुत्र मोतीलाल के स्थान पर प्रेमचंद पुत्र मोतीराम के नाम से शुद्धि किये जाने का निवेदन किया हैं। प्रार्थी के दस्तावेजी साक्ष्य यथा आधार कार्ड सं0 8589 4225 6606, मतदाता पहचान पत्र सं0 ALR1927300, पैन कार्ड सं0 ARRPC0932B इत्यादि में भी प्रार्थी का नाम प्रेमचंद पुत्र मोतीराम दर्ज हैं तथा पत्रावली में प्रस्तुत सहखातेदारान मंगलाराम व रमेश के गवाह के शपथ पत्र जिसमें उक्त संशोधन किये जाने का कोई उज्र एतराज नहीं होने का पेश किया। अतः इन सभी तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का वास्तविक व दस्तावेजी नाम प्रेमचंद पुत्र मोतीराम होने की संपुष्टि होती हैं। लिहाजा अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम पेमा पुत्र मोती, पेमाराम पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

मोतीराम, पेमाराम पुत्र मोतीलाल के स्थान पर प्रेमचंद पुत्र मोतीराम के नाम से शुद्धि किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्ती किया जाना उचित समझते हैं।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में पेमा पुत्र मोती, पेमाराम पुत्र मोतीराम, पेमाराम पुत्र मोतीलाल के स्थान पर प्रेमचंद पुत्र मोतीराम के नाम से शुद्धि किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्ती किया जाने का आदेश तहसीलदार सोजत को दिए जाते है, तदोनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। शेष खाता बदस्तुर रहे। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 06/11/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत